न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —113/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/215

Innovision Limited,
office & Residential address-plot no 251, 1st floor phase 4
Udyog Nagar Gurugram-122015

—अपीलाण्ट.

V/S

Chief Medical & Health officer, kota

—रेस्पोडेन्ट.

प्रथम अपील आरटीपीपी एक्ट विरूद्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं अन्य के संचालन हेतु मानव संसाधन की सेवा उपापन हेतु ई—निविदा (दर संविदा) संख्या 2025—26/05 दिनांक 24.10.2025

निर्णय

दिनांक— 06.01.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं अन्य के संचालन हेतु मानव संसाधन की सेवा उपापन हेतु ई—निविदा (दर संविदा) संख्या 2025—26/05 दिनांक 24.10.2025 जारी की गई । जिसमें आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 की पालना नहीं की जाने एवं निविदा हेतु जारी बोली दस्तावेजों में मनमाने /अतार्किक /अनुचित प्रावधान किए जाना बताते हुए अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2025 को निर्धारित अपील शुल्क के साथ पेश की गई ।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु सूचना पत्र जारी किया गया । रेस्पोडेन्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा की ओर से अपील का बिन्दुवाईज जवाब प्रस्तुत हुआ । अपीलांट फर्म के प्रतिनिधि एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

3. अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए बिन्दुवाईज निम्न कथन किये है—

3/1 उक्त निविदा के शर्त संख्या 18(2) में "वित्तिय बिड़ के परीक्षण पर एक से अधिक फर्मो की सर्विस एवं निविदादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से एक समान दर वाली एवं निविदादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से एक समान दर वाली चयनित निविदादाता फर्मो की पर्ची निकलवाकर किया जायेगा ।" वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/ एफ8(6)/ एफडी/ एसपीएफसी/परिपत्र/2023 दिनांक 12.11.2025 में निर्देशित किया गया है कि "उपापन संस्था द्वारा उपापन से संबंधित बोलियों में न्यूनतम बोलीदाता एक से अधिक आने पर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार बोलीदाता का अधिकतम टर्नओवर या अधिकतम अवधि का कार्यानुभव या बोलीदाता के पास उपलब्ध मानव संसाधन की संख्या में से कोई एक शर्त के आधार पर सफल (L1) बोलीदाता का चयन किया जा सकता है । अतः कार्मिकों की सेवा उपापन निविदा से शर्त संख्या 18(2) को हटाकर इसके स्थान पर बोलीदाता के अधिकतम टर्न—ओवर अथवा अनुभव के आधार पर सफल बोलीदाता का निर्धारण करने का श्रम करें ।

3/2 उक्त निविदा के पृष्ठ संख्या 13 के बिन्दु 10 में वांछित दस्तावेज में राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 का लाईसेंस मांगा गया है

जबकि उक्त लाईसेंस सफल बोलीदाता फर्म द्वारा कार्यादेश जारी होने के उपरान्त बनवाकर प्रस्तुत किया जाता है ।

3/3 उक्त निविदा के शर्त संख्या 6 में आपके द्वारा "निविदा के अन्तर्गत शून्य से रूपये 0.999 कुलक सर्विस चार्ज की दर अस्वीकार होगी । सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज पूर्णांक में दर्शायी जाये । दशमलव, शून्य और ऋणात्मक में दर्शायी गयी सर्विस चार्ज की दरें स्वीकार नहीं होगी ।" इसके साथ ही आपके द्वारा ऑनलाईन बीओक्यू में दरें राशि रूपये में भरने के लिए निर्देशित किया गया है । जिससे ऐसा स्वाभाविक है कि अधिकांश बोलीदाता फर्मो द्वारा सफल (L-1) बोलीदाता चयनित होने के लिए सर्विस चार्ज की दर 1/– अथवा अरूचिकर /अनुचित दरें भरी जावेगी । जिसके कारण सफल फर्मो द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है और फर्मो द्वारा श्रमिकों के मानदेय में कटौतियां की जाती है एवं श्रमिकों को उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे पी.एफ./ई.एस.आई. की सुविधा नहीं दी जाती है । वर्तमान में मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा संचालित चिकित्सालयों (नवीन चिकित्सालय, जे.के. लोन चिकित्सालय, एसबीएस चिकित्सालय) में भी सर्विस चार्ज राशि 3 से 5 प्रतिशत तक दी जा रही है । अतः सर्विस चार्ज राशि को न्यूनतम तीन प्रतिशत करने का श्रम करें ताकि कर्मचारियों का शोषण होने से बचाया जा सकें ।

3/4 उक्त निविदा के Corrigendum (संशोधन पत्र) एनएचएम/ लेखा/ ई–निविदा/ मानव संसाधन/ 2025–26/9184 दिनांक 12.11.2025 जारी किया गया है जिसके बिन्दु संख्या 1, 4 एवं 5 में आपके द्वारा "वित्तिय वर्ष 2022–23, 2023–24, एवं 2024–25 में किसी एक वित्तिय वर्ष में कम से कम 50 मानव संसाधन की सेवा उपलब्ध करवाये जाने के कार्यादेश जो कि राजकीय विभाग, निगमों सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त शासन से जारी हो, बोली के साथ संलग्न करना होगा । ऐसे कार्यादेश में कम से कम 10 चिकित्सक एवं 40 पैरामेडिकल स्टाफ यथा स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जीएनएम, एएनएम आदि समकक्ष पदों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव मांगा गया है । जबकि यह शर्त पूर्व में जारी की गई निविदाओं में नहीं थी । ऐसी शर्त मानवाही फर्म को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रखी गई है ताकि अन्य फर्म तकनीकी निविदा में असफल हो जाए । श्रीमान से निवेदन है कि कार्यानुभव की उक्त शर्त में से कम से कम 10 चिकित्सक एवं 40 पैरामेडिकल स्टाफ यथा स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जीएनएम, एएनएम आदि समकक्ष पदों की सेवा उपलब्ध करवाने के अनुभव" की बाध्यता को समाप्त किया जाए ताकि अधिक से अधिक फर्म निविदा में भाग ले सकें और निविदा में पारदर्शिता बनी रहें ।

3/5 उक्त निविदा के Corrigendum (संशोधन पत्र) एनएचएम/ लेखा/ ई–निविदा/ मानव संसाधन/ 2025–26/9184 दिनांक 12.11.2025 जारी किया गया है । जिसके बिन्दु संख्या 5 में निविदा के प्रपत्र संख्या 6 से "अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक" को विलोपित किया गया है जबकि अनुभव प्रमाण पत्रों में क्रमांक एवं दिनांक के नहीं होने से इसकी प्रमाणिकता पर संदेहास्पद स्थिति बनती है । ऐसे में कोई फर्म कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निविदा को भ्रमित कर सकती है ।

अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेद है कि उपरोक्त निविदा संख्या 2025–26/05 दिनांक 24.10.2025 जो कि अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा की गई है इसमें उपरोक्त बिन्दुओं में संशोधन किया जावें ताकि निविदा में फर्मो के मध्य प्रतिस्पर्धा बनी रहे और अधिक से अधिक फर्म निविदा में भाग ले सकें ।

4. रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील का विन्दुवाईज जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब ही अपनी बहस होने का कथन किया है ।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्को का गंभीरता पूर्वक मनन किया । अपीलांट फर्म द्वारा यह अपील मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं अन्य के संचालन हेतु मानव संसाधन की सेवा उपापन हेतु ई–निविदा (दर संविदा) संख्या 2025–26/05 दिनांक

24.10.2025 जारी की गई । जिसमें आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 की पालना नहीं की जाने एवं निविदा हेतु जारी बोली दस्तावेजों में मनमाने /अतार्किक /अनुचित प्रावधान किए जाना बताते हुए अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2025 को निर्धारित अपील शुल्क के साथ पेश की गई । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दुवाईज जवाब एवं तर्क दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है । अपील के बिन्दुवाईज विश्लेषण निम्नानुसार है–

➢ **अपील का बिन्दु सं0 1–** अपीलांट ने इस बिन्दु में बताया है कि निविदा के शर्त संख्या 18(2) में वित्तीय बिड के परीक्षण पर एक से अधिक फर्मो की सर्विस चार्ज की राशि की समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर सफलतम निविदादाता का चयन उपापन समिति एवं निविदादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से एक समान दर वाली चयनित निविदादाता फर्मो की पर्ची निकलवार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में अपीलांट का आरोप है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 12.11.2025 में निर्देशित किया गया है कि "उपापन संस्था द्वारा उपापन से सम्बन्धित बोलियों में न्यूनतम बोलीदाता एक से अधिक आने पर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार बोलीदाता का अधिकतम टर्न ओवर या अधिकतम अवधि का कार्यानुभव या बोलीदाता के पास उपलब्ध मानव संसाधन की संख्या में से कोई एक शर्त के आधार पर सफल (L1) बोलीदाता चयन किया जा सकता है । अतः कार्मिकों की सेवा उपापन निविदा से शर्त संख्या 18(2) को हटाकर बोलीदाता का निर्धारण करने का श्रम करें ।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में तर्क दिया है कि यह शर्त दिनांक 24.10.2025 को जारी निविदा का भाग थी उपापन संस्था द्वारा दिनांक 03.11.2025 को प्री–बिड बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सम्भावित बोलीदाताओं को निविदा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया था किन्तु अपीलांट फर्म द्वारा उक्त शर्त के सम्बन्ध में प्री–बिड बैठक में कोई बिन्दु नहीं रखा गया ना ही कोई स्पष्टीकरण चाहा गया । रेस्पोडन्ट द्वारा इस बिन्दु के सम्बन्ध में आगे कथन किया है कि निविदा 05/2025–26 दिनांक 24.10.2025 वित्त विभाग के उक्त परिपत्र 12.11.2025 के जारी होने से पूर्व प्रकाशित /आमंत्रित की जा चुकी थी । साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 12.11.2025 में यह भी प्रावधान है कि उपापन संस्था अपने विशिष्ट कार्यानुसार अन्य कोई शर्त भी रख सकती है ।

परिणामतः इस बिन्दु के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्क से हम सहमत है कि अपीलाधीन निविदा दिनांक 24.10.2025 को जारी हो चुकी थी जबकि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 12.11.2025 को जारी हुआ अर्थात निविदा जारी होने के बाद जारी किया है, तथा परिपत्र में दिये गये प्रावधान अनुसार उपापन संस्था अपने विशिष्ट कार्यानुसार अन्य कोई शर्त भी रख सकती है । ऐसी स्थिति में उपापन संस्था रेस्पोडेन्ट द्वारा परिपत्र दिनांक 12.11.2025 का कोई उल्लंघन नहीं किया है । अपीलांट का यह बिन्दु स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

➢ **अपील का बिन्दु सं0 2–** अपीलांट ने इस बिन्दु में तर्क दिया है कि उक्त निविदा के पृष्ठ संख्या 13 के बिन्दु 10 में वांछित दस्तावेज में राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 का लाईसेंस मांगा गया है जबकि उक्त लाईसेंस सफल बोलीदाता फर्म द्वारा कार्यादेश जारी होने के उपरान्त बनवाकर प्रस्तुत किया जाता है ।

इस बिन्दु के जवाब में रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि वित्त विभाग के परिपत्र 01/2018 दिनांक 30.4.2018 के बिन्दु संख्या(i) की पालना में यह प्रावधान रखा गया है ।

परिणामतः हमने परिपत्र दिनांक 30.4.2018 का अवलोकन किया जिसके बिन्दु संख्या(i) में श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि (राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970) बोली के साथ उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । इसी आधार पर उपापन संस्था द्वारा यह प्रावधान किया है । अपील का बिन्दु सं0 2 अस्वीकार योग्य होकर खारिज किया जाता है ।

➢ **अपील का बिन्दु संख्या–3 :–**

इस बिन्दु में अपीलांट द्वारा कथन किया है कि आपके द्वारा निविदा के अन्तर्गत शून्य से रूपये 0.999... तक की सर्विस चार्ज की दर अस्वीकार होगी । सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज पूर्णांक में दर्शायी जाये । दशमलव शून्य और ऋणात्मक में दर्शायी गयी सर्विस चार्ज की दरें स्वीकार नहीं होगी । अपीलार्थी द्वारा अपील में यह आशंका व्यक्त की गई है कि "अधिकांश बोलीदाता फर्म द्वारा सफल (एल–1) बोलीदाता चयनित होने के लिये सर्विस चार्ज की दर 1/– रूपया अथवा अस्विकर /अनुचित दरें भरी जावेगी" । वर्तमान में मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा संचालित चिकित्सालयों में भी सर्विस चार्ज राशि 3 से 5 प्रतिशत तक दी जा रही है । अतः सर्विस चार्ज राशि को न्यूनतम तीन प्रतिशत करने का श्रम करें । ताकि कर्मचारियों का शोषण होने से बचाया जा सकें ।

इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट उपापन संस्था का तर्क है कि निविदा की शर्त संख्या 6 में बोलीदाता को किसी भी रूप में 1/–₹ की दर भरने हेतु बाध्य नहीं किया गया है । बोलीदाता द्वारा सर्विस चार्ज बाजार प्रचलित मुद्रा (पूर्णांक) में भरी जानी है, बोलीदाता कोई भी सर्विस चार्ज की दर भरने हेतु स्वतंत्र है एवं आरटीपीपी नियमानुसार ही सफल बोलीदाता का चयन किया जावेगा । अपीलार्थी के न्यूनतम सर्विस चार्ज 3 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव दिया गया है । आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 में इस प्रकार न्यूनतम सर्विस चार्ज उपापन संस्था द्वारा तय किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है साथ ही एनएचएम अन्तर्गत भी 3 प्रतिशत न्यूनतम सर्विस चार्ज रखे जाने का कोई आदेश /परिपत्र जारी नहीं किया गया है ।

परिणामतः रेस्पोडेन्ट उपापन संस्था द्वारा सर्विस चार्ज की दर के सम्बन्ध में अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि शर्त संख्या 6 में बोलीदाता को किसी भी रूप में 1/–₹ की दर भरने हेतु बाध्य नहीं किया गया है बोलदाता द्वारा सर्विस चार्ज बाजार प्रचलित मुद्रा (पूर्णांक) में भरी जानी है । साथ ही सर्विस चार्ज न्यूनतम 3 से 5 प्रतिशत तक करने के सम्बन्ध में उपापन संस्था द्वारा तर्क दिया है कि आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इस बावत अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कानून एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे सर्विस चार्ज न्यूनतम 3 प्रतिशत रखा जावे । इस प्रकार यह बिन्दु भी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

➢ **अपील का बिन्दु संख्या–4 :–**

अपीलांट द्वारा इस बिन्दु में उपापन संस्था द्वारा जारी Corrigendum-01 के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए Corrigendum-01 कदिनांक 12.11.2025 को जारी किया गया है । जिसके बिन्दु संख्या 1,4, एवं 5 में आपके द्वारा " वित्तिय वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 में किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 मानव संसाधन की सेवा उपलब्ध करवाये जाने के कार्यादेश जो कि राजकीय विभाग, निगमों सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त शासन से जारी हो, बोली के साथ संलग्न करना होगा ।ऐसे कार्यादेश में कम से कम 10 चिकित्सक एवं 40 पैरामेडिकल स्टाफ यथा स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जीएनएम, एएनएम आदि समकक्ष पदों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव मांगा गया है । जबकि यह शर्त पूर्व में जारी की गई निविदाओं में नहीं थी । अतः कार्यानुभव की उक्त शर्त में से "कम से कम 10 चिकित्सक एवं 40 पैरामेडिकल स्टाफ यथा स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट, जीएनएम, एएनएम आदि समकक्ष पदों की सेवा उपलब्ध करवाने के अनुभव की बाध्यता को समाप्त किया जाए ।

रेस्पोडेन्ट उपापन संस्था द्वारा इस बिन्दु के सम्बन्ध में तर्क दिया है कि निविदा अंतर्गत दर संविदा की जाकर 40 चिकित्सक व 160 पेरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य मानव संसाधन की सेवा आपूर्ति की जानी है । निविदा चिकित्सा संबधी सेवा आपूर्ति की है जो कि जन स्वास्थ्य से संबंधित होने के कारण अति–महत्वपूर्ण व अति–आवश्यक प्रकृति की है । ऐसे में निविदा उपरान्त सेवा आपूर्ति उच्च गुणवत्ता की एवं सुचारू रूप से हो सकें, इसके लिये Corrigendum-01 जारी किया गया है । आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा (14) (1) (C) व आरटीपीपी नियम–2013 के

नियम (35)(2)(d) अनुसार उपापन संस्था Experience Criteria रख सकती है । इसी प्रकार आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा (7) अनुसार भी उपापन संस्था कर Qualifying Criteria रख सकती है । फिर भी उपापन संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा बढाने की दृष्टि से Corrigendum-02 जारी कर उक्त निविदा शर्त जिसके विरूद्व अपील की गई है में शिथिलन करते हुए "वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 मानव संसाधन की सेवा उपलब्ध करवाये जाने के कार्यादेश जो कि राजकीय विभाग, निगमों, सरकारी व अर्द्वसरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार" के अधीन स्वायत्त शासन से जारी हों, बोली के साथ संलग्न करना होगा । ऐसे कार्यादेशों में कम से कम 04 चिकित्सक व कम से कम 16 पैरामेडिकल स्टाफ यथा स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जीएनएम, एएनएम आदि समकक्ष पदों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव होना अनिवार्य है' की ही शर्त रखी गई है । शुद्विपत्र 02 के उपरांत चाहा गया पूर्व सेवा आपूर्ति का अनुभव संभावित सेवा आपूर्ति का केवल 10 प्रतिशत रखा गया है । अपील में उक्त अनुभव की शर्त को मनचाहा बताया गया है जबकि उपापन संस्था द्वारा उपापन किये जा रहे विषय वस्तु की सेवा आपूर्ति से सम्बन्धित अनुभव ही मांगा गया है । इस प्रकार निविदा प्रपत्र एवं शुद्वि पत्र जारी करने में आरटीपीपी एक्ट– 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना की गयी है । अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष में अपील अस्वीकार की जावें ।

परिणामतः इस बिन्दु के सम्बन्ध में उभयपक्ष के प्रस्तुत तर्को के अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त निविदा चिकित्सा संबंधी सेवा आपूर्ति की हैं । ऐसे कार्यादेशों में कम से कम 10 चिकित्सक व कम से कम 40 पैरामेडिकल स्टाफ यथा स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जीएनएमच,एएनएम आदि समकक्ष पदों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव रखा गया था । उक्त निविदा के सम्बन्ध में उपापन संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा बढाने की दृष्टि से Corrigendum-02 जारी कर अपीलांट की आपत्ति अनुसार कम से कम 04 चिकित्सक व कम से कम 16 पैरामेडिकल स्टाफ यथा स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट, जीएनएम, एएनएम आदि समकक्ष पदों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव होना अनिवार्य है की ही शर्त रखी गई है । शुद्विपत्र 02 के उपरांत चाहा गया पूर्व सेवा आपूर्ति का अनुभव संभावित सेवा आपूर्ति का केवल 10 प्रतिशत रखा गया है । इस प्रकार अपीलांट का इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपापन संस्था द्वारा आंशिक संशोधन कर दिया गया है । यह बिन्दु आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ।

➢ **अपील का बिन्दु संख्या–5 :–**

अपील के इस बिन्दु के सम्बन्ध में अपीलांट ने कथन किया है कि निविदा के संशोधन पत्र दिनांक 12.11.2025 जारी किया गया है जिसके बिन्दु संख्या 5 में निविदा के प्रपत्र संख्या 6 से "अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक" को विलोपित किया गया है जबकि अनुभव प्रमाण पत्रों में क्रमांक एवं दिनांक के नहीं होने से इसकी प्रमाणिकता पर संदेहास्पद स्थिति बनती है । ऐसें में कोई फर्म कूटर रचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निविदा को भ्रमित कर सकती है । अतः उपरोक्त निविदा दिनांक 24.10.2025 के उपरोक्त बिन्दुओं में संशोधन किया जावें ताकि फर्मो के मध्य प्रतिस्पर्धा बनी रहे और अधिक से अधिक फर्म निविदा में भाग ले सकें ।

इस बिन्दु के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट उपापन संस्था द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि निविदा से प्राप्त बोलियों का परीक्षण उपापन समिति द्वारा किया जायेगा एवं यदि किसी बोली के साथ संलग्न कार्यादेश /अनुभव प्रमाण पत्र पर नियमानुसार क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं पाया जाता है तो ऐसे कार्यादेश /अनुभव प्रमाण पत्र पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा । बोली मूल्यांकन में केवल नियमानुसार जारी दस्तावेजों पर ही विचार किया जावेगा । यदि किसी बोलीदाता के द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है तो इसे आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 80(2)(b) cod of integrity का उल्लंघन मानते हुए आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 11 की उप धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्यवाही की जावेगी । अपील आशंका /संभावना के आधार पर की गयी है । अतः अपील अस्वीकार की जावें ।

परिणामतः इस बिन्दु के सम्बन्ध में उभयपक्ष के प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि उपापन संस्था द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र पर नियमानुसार क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं पाया जाता है तो ऐसे कार्यादेश /अनुभव प्रमाण्पा पत्र पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाने का तथ्य प्रकट किया है । अपीलांट द्वारा यह बिन्दु संभावनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया है । उपापन संस्था को आदेश दिये जाते है कि ऐसे कार्यादेश /अनुभव प्रमाण पत्रों की सही से जांच करके ही आरटीपीपी नियम 2012 के तहत कार्यवाही करें । यह बिन्दु संभावनाओं पर आधारित होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील के बिन्दु संख्या 1,2,3 व 5 में चाहा गया अनुतोष विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है । बिन्दु सं0 4 में अपीलांट की आपत्ति अनुसार रेस्पोडेन्ट उपापन संस्था द्वारा Corrigendum-02 दिनांक 20-11-2025 को जारी कर दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।
7. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

पीयूष समारिया
प्रथम अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, एवं
जिला स्वास्थ्य समिति कोटा

जिला कलक्टर
कोटा